न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 2315–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–2–13 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 05/निगरानी/1011–12.

———

मोहरबाई पत्नि भगवानसिंह जाति रघुवंशी
निवासी ग्राम मूड़रा पीताम्बर,
तहसील नटेरन जिला विदिशा ——— आवेदक

विरूद्ध

1– भूरे सिंह आत्मज नारायण सिंह
2– प्रताप सिंह आत्मज नारायण सिंह
दोनों निवासी ग्राम मूड़रा पीताम्बर
तहसील नटेरन जिला विदिशा ——— अनावेदकगण

———

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री आर. बी. शर्मा, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11–12–14 को पारित)

———

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 05/निगरानी/11–12 में पारित आदेश दिनांक 27.2.13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा विचारण न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किए जाने बावत आवेदन पेश किया । इस पर से तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की जाकर आवेदिका को सूचनापत्र जारी किया गया । आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर एक आवेदन संहिता की धारा 32 के तहत इस आशय का पेश किया कि तहसील न्यायालय को अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन सुनने की अधिकारिता नहीं है । नामांतरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में

कार्यवाही की जाना थी । उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार ने दिनांक 23.3.11 को निरस्त किया जाकर प्रकरण आवेदिका के जबाव हेतु नियत किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने प्रथम निगरानी अपर कलेक्टर, विदिशा के समक्ष पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 8.12.11 द्वारा निरस्त की । द्वितीय निगरानी आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष आवेदन 2011 में अर्थात 21 वर्ष बाद दिया गया है । अनावेदकों द्वारा यह कहना कि उनका हिस्सा 1/4 है असत्य है । वर्ष 1990 का आदेश अपीलीय आदेश था किंतु उसकी कोई अपील नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किए हैं जो निरस्ती योग्य हैं ।

4– अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से आधार लिए गए हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदकों द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसका कोई जबाव आवेदिका द्वारा नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि प्रक्रिया एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के अनुरूप हैं । आवेदिका ने विचारण न्यायालय में जबाव पेश न कर प्रकरण को विलंबित किया जा रहा है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिन्हें स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटि सुधार के संबंध में है एक पक्ष के अनुसार नामांतरण पंजी में जो प्रविष्टि है वह सक्षम अधिकारी के आदेश से है और उसके 20 वर्ष के उपरांत उसके सुधार का जो आवेदन दिया है वह धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है दूसरी ओर तथ्यों के अनुसार जो नामांतरण प्रविष्टि प्रमाणित हुई है उसमें हिस्सा अंकित करने में त्रुटि हुई है और उसके सुधार के लिए आवेदन दिया गया है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं उत्तर हेतु नियत होकर आवेदिका ने उत्तर न देते हुए प्रकरण को समाप्त करने की आपत्ति की जबकि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य व उत्तर के लिए प्रकरण नियत किया था । प्रथम पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण को अस्वीकार किया है और विचारण न्यायालय के आदेश को

विधिसम्मत माना है उसी क्रम में आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत माना है । चूंकि प्रकरण में अभी गुणदोष पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और पक्षकारों को अपनापक्ष रखने का अवसर है ऐसी स्थिति में उभयपक्ष पुनरीक्षण न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार मैं नहीं पाता हूँ ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर